:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– के.आर.खोड

मूकदमा नम्बर 68/19 राजस्व वाद

1 श्री भेरव लबाना पिता रूपा लबाना जाति लबाना निवासी कनबा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1 नटवर पिता लिम्बा लबाना

2 बाबुलाल पिता लिम्बा लबाना

3 बबली पिता लिम्बा लबाना

4 हन्ती पत्नी स्व. लिम्बा लबाना उम्र वयस्क निवासी कनबा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

5 श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी

2 श्री कालुराम डामोर अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद बाबत् सहखातेदार काश्तकार दर्ज करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने, इन्द्राज दूरस्तीकरण करवाने बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 एल.आर.एकट एवं 136 रा.का.अधि।

:: निर्णय ::

दिनांक 03/03/2020

(1) प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त की मौजा कनबा एवं नेगाला में स्थित है किन्तु गॉव कनबा के जमाबन्दी खाता सख्या 83 के खसरा सख्या 47, 104, 107, 191, 415, 428 कुल खसरा किता 6 का कुल रकबा 9.17 बीघा भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है इसी अनुसार वादी काबीज होकर काश्त करता है। किन्तु वादी का नाम खाते में दर्ज होन से रह गया हैं। इस प्रकार वादी का नाम खाते में दर्ज नहीं कर सेटलमेन्ट कर्मीयो ने भारी भूल की हैं। उक्त आराजी में वादी को

a

Scanned with CamScanner

1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी ने गॉव कनबा की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 का खाता सख्या 83, गॉव नेगाला की जमाबनदी सवंत् 2072–2075 का खाता सख्या 127 फर्द तुलनात्मक,सेटलमेन्ट सवंत 2008, ग्रम पंचायत का पेढीनामा तथा अपने पहचान पत्र पेश किए।

(2) वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट कालुराम डामोर ने वकालतनामा पेश किया, तथा जवाब स्वीकारोक्ती का पेश किया, वादी एवं प्रतिवादीगण ने एक राजीनामा भी पेश कर निवेदन किया कि गॉव कनबा की वादग्रस्त आराजी 47, 104, 107, 191, 415, 428 कुल खसरा किता 6 का कुल रकबा 9.17 बीघा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, पक्षकारो के राजीनामें को तस्दीक किया गया, गॉव कनबा तहसील सीमलवाडा की आराजी नम्बर 47, 104, 107, 191, 415, 428 कुल खसरा किता 6 का कुल रकबा 9.17 बीघा भूमि में वादी भेरव पिता रूपा लबाना को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने की आज्ञा दी जाती है ऐसे में वादी भेरव को उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 4 को 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर अवीलम्ब पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। उपरोक्तानूसार डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

d

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा धम्बोला

आज दिनांक 03/03/2020 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

d

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा धम्बोला

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री के.आर खोड RAS

श्री भेरव **बनाम** श्री नटवर आदि

दावाः– अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज.टी.एक्ट व धारा 136 एल आर एक्ट मुकदमा सख्याः– 100/12

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल और प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट कालुराम डामोर, इस वाद में आज दिनांक 03/04/2020 को के.आर. खोड RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है और वादी का डिकी किया जाता है कि **गॉव कनबा तहसील सीमलवाडा की आराजी नम्बर 47, 104, 107, 191, 415, 428 कुल खसरा किता 6 का कुल रकबा 9.17 बीघा भूमि में वादी भेरव पिता रूपा लबाना को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने की आज्ञा दी जाती है, ऐसे में वादी भेरव को उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से में तथा प्रतिवादी सख्या 1 से 4 को 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर अवीलम्ब पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे**

यह आज दिनाक 03/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा मु0 धम्बोला)

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा मु0 धम्बोला)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.16 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: